भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी./यू.सी.पी./06/114/2016/एफ0 सी0/55 दिनांकः 12/04/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद– बागेश्वर में झोपड़ा–शिखर–वास्ती मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.987 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/10587/2015)

सन्दर्भः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2257/FP/UK/ ROAD/10587/2015 दिनांक 23-03-2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10/09/2020 का जवाब राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन उपरान्त यह दृष्टिगत होता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग से जोड़े जाने वाले गांव पूर्व से ही मार्ग से जुड़े है तथा यह मार्ग पयर्टन की दृष्टि से एवं साथ ही मन्दिर को जोड़ने के लिये प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आपदा की स्थिति में यह मार्ग एक वैकल्पिक मार्ग का कार्य करेगा।

उपराक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुये आपको सूचित किया जाता है कि मंदिर अथवा पर्यटन हेतु ropeway के निर्माण पर विचार किया जा सकता है क्यों कि उक्त मोटर मार्ग में 324 वृक्षों का पातन निहित है। यह मार्ग घने वन से होकर गुजर रहा है, अतः प्रस्ताव merit के आधार पर एवं अनुकूल तथ्यों के अभाव में स्वीकार्य नहीं है। राज्य सरकार यदि चाहे तो सभी तथ्यों की भली–भांती जांच कर औचित्यपूरक साक्ष्यों के साथ मार्ग निर्माण का औचित्य प्रेषित करते हुए पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

उपरोक्त त्रृटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)